

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
३० प्र०,लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक, ३० मार्च, 2021

विषय- जनपद फतेहपुर में इंद्रप्रस्थ गैस लिलो द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 19 (कानपुर-प्रयागराज रोड) के किमी0 519.00 से किमी0 552.00 कुल लम्बाई 33.00 किमी0 में एच0डी0डी0 तकनीक के माध्यम से 12" (300 एमएम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाईप लाईन बिछाने में प्रभावित 0.99 है। संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में।

(प्रस्ताव सं0 एफपी/यूपी/पाईप लाईन/116044/2020)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या-2260/11-सी-एफपी/यूपी/ पाईप लाईन/116044/2020, दिनांक 05.03.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा-निर्देश संख्या-11-09/98-एफसी, दिनांक 07-11-2014 तथा 11-9/98-एफसी, दिनांक 07-9-2015 में विहित व्यवस्थानुसार जनपद फतेहपुर में इंद्रप्रस्थ गैस लिलो द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 19 (कानपुर-प्रयागराज रोड) के किमी0 519.00 से किमी0 552.00 कुल लम्बाई 33.00 किमी0 में एच0डी0डी0 तकनीक के माध्यम से 12" (300 एमएम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाईप लाईन बिछाने में प्रभावित 0.99 है। संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की सैद्धांतिक स्वीकृति निम्न शर्तों /प्रतिबंधों पर प्रदान करते हैं-

- (1) सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।
- (2) सी0एन0जी0/पी0एन0जी0पाइपलाईन/मार्गों/सइकों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे -किनारे ही बिछाये जायेंगे।
- (3) सी0एन0जी0/पी0एन0जी0 पाइप लाईन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज की गहराई 2.00 मीटर और चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक न होगी।
- (4) प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।
- (5) प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।
- (6) वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।

- (7) प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।
- (8) भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा।
- (9) प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।
- (10) प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
- (11) प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।
- (12) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या-J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।
- (13) प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।
- (14) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।
- (15) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।
- (16) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (17) परियोजना में 12 इंच डाया गैस पाईप लाईन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा।
- (18) राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाईप लाईन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा जो इस प्रकार है :—
- (1) सी0एन0जी0/गैस पाईप लाईन बिछाने वाली ऐसी कम्पनियां, जो लगातार गैस पाईप लाईन बिछाती हैं तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अन्तर्शहरीय, शहर से ग्रामीण,


अन्तर्रिजला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है, उस कम्पनी से पूर्व की भाँति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाईंगों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त यथावत् लागू रहेगी।

(2) ऐसी कम्पनियां, जो गैस पाईप लाइन के द्वारा केवल शहर में गैस आपूर्ति हेतु पाईप लाईन बिछाती हैं अर्थात् जिसका दायरा एक शहर होता है, उस कम्पनी को भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति में वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत सामान्यतया दुगुने अवनत वन या समतुल्य गैर वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 05 वर्ष तक के रख-रखाव के लिये निर्देशित धनराशि के समतुल्य धनराशि अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में भारत सरकार की शर्तों के अतिरिक्त नवीन शर्त के रूप में उल्लेख किया जायेगा। इस धनराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपण में व्यय किया जायेगा।

- (19) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

3- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि सैद्धांतिक स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के पास गैस पाईप लाइन बिछाने हेतु वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा इस कार्य के लिए उन्हें सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो। उक्त शर्तों के अनुपालन के पश्चात ही विधिवत् स्वीकृति प्रदान किया जायेगा। प्रश्नगत आदेश मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, ३०प्र० लखनऊ की रिपोर्ट/स्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)

विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1)- उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय,लखनऊ।
- (2)- वन संरक्षक, प्रयागराज।
- (3)- जिलाधिकारी, फतेहपुर।
- (4)- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग फतेहपुर।
- (5)- चीफ रीजनल मैनेजर इंट्रप्रस्थ गैस लि�0 कानपुर पार्ट फतेहपुर एवं हमीरपुर 808-810 8वां तल ए 14/13 कान चैंबर सिविल लाइंस कानपुर।
- (6)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।